संख्या-45/2018/49मंत्री/26-3-2018-4(59)/2015

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण
उ0प्र0, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 14 मार्च 2018

विषयः-अतिपिछड़े अनुसूचित जाति समूह बाहुल्य ग्रामों के सर्वागीण विकास हेतु संचालित एकीकृत विकास योजनान्तर्गत जनपद-बस्ती के स्वीकृत किये गये अवशेष कार्यो को पूर्ण किये जाने हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-26/2018/458/26-3-2018-4(59)/2015, दिनांक-08.02.2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से एकीकृत विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष-2017-18 में जनपद-बस्ती के विकास कार्यो हेतु शासनादेश संख्या-182/2017/2940/26-3-2018-4(59)/2015, दिनांक-12.12.2017 द्वारा धनराशि रू0-426.13 (रूपया-चार करोड़ छब्बीस लाख तेरह हजार मात्र) लाख की निम्नानुसार निर्गत की गयी वित्तीय स्वीकृति को निरस्त/समाप्त कर दिया गया हैः-

जनपद-बस्ती (लाख रूपये में)

क्र सं	विकास खण्ड का नाम	ग्राम का नाम	कार्य का नाम	कार्य की लागत	प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि	अवशेष धनराशि की स्वीकृति
1	रामनगर	पिपरहिया	सी.सी.रोड़/के.सी.ड्रेन, इन्टरलाकिंग एवं यू-टाइप ड्रेन का निर्माण	138.08	50.00	88.08
2	"	नकथर	"	165.43	50.00	115.43
3	"	शंकरपुर	"	161.41	50.00	111.41
4	"	गन्धरियाबुर्जुग	"	161.21	50.00	111.21
कुल योग				626.13	200.00	426.13

(रूपया-चार करोड़ छब्बीस लाख तेरह हजार मात्र)

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश संख्या-26/2018/458/26-3-2018-4(59)//2015, दिनांक-08.02.2018 को तत्काल प्रभाव से

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

निरस्त/समाप्त किया जाता हैं तथा शासनादेश संख्या-182/2017/2940/26-3-2017-4(59)/2015, दिनांक-12.12.2017 द्वारा जनपद-बस्ती के विकास कार्यो हेतु प्रस्तर-1 में उल्लिखित तालिका में अंकित विवरण के अनुसार प्रदान की गयी वित्तीय स्वीकृति को पुर्नजीवित किया जाता है।

भवदीय

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव।

पृ0संख्या-45/2018/49मंत्री(1)/26-3-2018 तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेरेषित:-

1.महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा)प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद।
2.जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, बस्ती।
3.निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा विभाग, उ0प्र0इलाहाबाद।
4.मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
5.प्रबन्ध निदेशक/अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0 गोरखपुर, इकाई।
6.जिला समाज कल्याण अधिकारी, बस्ती।
7.वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
8.समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ।
9.गार्डफाइल।

आज्ञा से,

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।